न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ० साधना शर्मा, आरए०ए०एस०

प्रकरण संख्या–46 / 2024

आरसीएमएस पॉर्टल नम्बरः– 2024 / 114

उनवानः–

सन्तोष सिंह पुत्र श्री हरीसिंह जाति जाट सिक्ख निवासी रूंध का पुरा धौलपुर जरिये मुख्तार अर्जुन सिंह पुत्र हरीसिंह जाति जाट सिक्ख निवासी रूंध का पुरा तहसील व जिला धौलपुर

——————————————————————वादिया

बनाम

1. सुनीता देवी पत्नि श्री सतीश चन्द्र जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम ढवेरा (पुरा पतिराम) तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर हाल आबाद नवाब साहब का बाडा बजरिया धौलपुर

——————मूल प्रतिवादी

2. श्रीमान तहसीलदार धौलपुर वहैसियत लैण्ड होल्डर

————————————————तरतीवी प्रतिवादी

दावा वास्ते बटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति – श्री किशन सिंह त्यागी, एडवोकेट, वादी की ओर से
श्री विकास शर्मा एडवोकेट, मूल प्रतिवादी की ओर

दिनांक 04.03.2025

निर्णय

वादी की ओर से वाद वास्ते बटवांरा काश्त जरिये मुख्तयार अर्जुन सिंह की ओर से विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी ख.नं. 177 ग्राम महमदपुर तहसील व जिला धौलपुर स्थित है। विवादित आराजी वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी की आराजी है। किसी भी प्रकार बंटवारा नही हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 अजनबी क्रेता है। प्रतिवादी संख्या 1 ने विवादित आराजी में से सहखातेदार काश्तकार अर्जुन सिंह से जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 05.12.2005 से क्रय किया है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के साथ संयुक्त कब्जा प्राप्त नही किया है। विवादित आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा नही है। केवल वादी का एकान्तिक कब्जा है। प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 02.06.2024 को अपने कुछ एजेन्टों को लेकर विवादित आराजी पर आई तथा इजहार किया िकवह विवादित आराजी पर जबरन वादी को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करेगी। तथा कब्जा पूर्व दिशा में जबरन प्राप्त कर विशिष्ट भू–भाग पर भूखण्ड बनाकर विक्रय करेंगे। जिसके लिए प्रतिवादीया ने वादी को एक साईट प्लान नक्शा की फोटो प्रति दी उसके मुताबिक प्रतिवादी

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

विवादित आराजी के पूर्व दिशा पर भूखण्ड बनाकर विक्रय करने जा रहा है। जिसे बिना बंटवारा कराये न तो कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है ना ही विशिष्ट भू–भाग को विक्रय करने का अधिकार है। अतः दावा वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किये जाने हेतु डिक्री किया जाकर खाता एंव लगान पृथक पृथक कर कब्जा पृथक से वादी का कराया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 बिना बंटवारा कराये विवादित आराजी पर वादी को बेदखल कर कब्जा प्राप्त नही करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री विकास शर्मा एडवोकेट ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। तत्पश्चात् वादी व प्रतिवादी की ओर से राजीनामा पेश किया।

वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2076 खाता संख्या 379 ग्राम महमदपुर तहसील धौलपुर पेश की।

दावा वादी दिनांक 23.07.2024 को उभयपक्ष की सहमति से प्रारंभिक डिक्री किया जाकर प्रकरण में विवादित आराजी ख.नं. 177 ग्राम महमदपुर तहसील व जिला धौलपुर का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किये जाने के आदेश दिए जाकर आदेशानुसार विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार धौलपुर से तलब किये गए।

तहसीलदार धौलपुर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए जो दिनांक 24.09.24 को शामिल पत्रावली किए गए। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी ने आपत्ति की। आपत्ति स्वीकार की जाकर तहसीलदार धौलपुर से पुनः राजीनामा को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किए गए। तहसीदार धौलपुर से पुनः विभाजन प्रस्ताव दिनांक 29.11.24 को प्राप्त हुए जिन में रास्ते हेतु छोडी गई जमीन का स्पष्ट अंकन नही होने के कारण पुनः विभाजन प्रस्ताव तलब किए गए। पुनः तहसीलदार धौलपुर से विभाजन प्रस्ताव दिनांक 18.02.2025 को प्राप्त हुए जिन पर वकील वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 को सुना गया। वकील उभयपक्ष ने विभाजन प्रस्तावों पर सहमति जाहिर करते हुए दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किये जाने का कथन किया।

वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 को सुनने उपरान्त पत्रावली का अवलोकन किया। अतः वकील उभयपक्ष की सहमति से हम दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)

आदेश

अतः दावा वादीगण वकील उभयपक्ष की सहमति से मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर विवादित आराजी ख.नं. 177 वांके ग्राम महमदपुर तहसील व जिला धौलपुर का निम्नानुसार खातेदारों के मध्य विभाजन कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	रकवा (है0)	किस्म
1.	सन्तोष सिंह पुत्र हरीसिंह हि0 पूर्ण जाति जाट सिक्ख सा. देह खातेदार	177/1	0.9041है0	बा0दो0
2.	सुनीता देवी पत्नि सतीशचन्द हि0 पूर्ण जाति ब्राम्हण सा0 डभैरा (पुरा पतिराम) तहसील राजाखेडा खातेदार	177/2	1.0053है0	बा0दो0

राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार इन्द्राज किये जाकर खाता एंव लगान पृथक–पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आराजीयात के लगान के 20 गुणा पर देय मुद्रांक शुल्क के स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर